खाद्यान्नों की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेहतर क्वालिटी के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने और किसी अन्य स्थान पर उनकी बिक्री को रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल तथा कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त आभार (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप तथा खाद्य उपभोक्ता निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के भीतर चावल तथा गेहूं जारी करता है । उन्हें वास्तविक सपुर्दगी करने से पूर्व स्टाक के निरीक्षण का मौका दिया जाता है । स्टाक, निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वास्तविक हिसाब राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न अथवा गेहूं की मात्रा के बारे में कोई बड़ी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

वर्ष 1992 से जनवरी, 1993 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुल 79 लाख टन खाद्यान्न तथा 65 लाख टन गेहूं वितरित किया गया है । इतने बड़े आकार के इस विशाल कार्य में कुछ कमियों से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से निगरानी को चुस्त बनाने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए ग्राम/उचित दर की दुकान के स्तर पर उपभोक्ताओं की निगरानी समितियां गठित करें । वे जमाखोरों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत भी कार्यवाही करते हैं ।

**Vacation of premises by NCCF at Bombay**

3814. SHRI SOM PAL : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the N.C.C.F. management is considering to vacate the premises occupied by iti office at Adinwala Mansion, Chowpatti, Bombay;

(b) if so, what action Government propose to take against the NCCF management; and

fc) if not, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) N.C.C.F. has informed that there is no proposal at present to vacate the premises at Adinwala Mansion, Chowpatti, Bombay, occupied by Bombay Branch of the N.C.C.F.

(b) and (c) Do not arise.

**Bazar on wheels run by Super Bazar**

3815. SYED STBTEY RAZI : Will the Minister of CTVIL SUPPLIES. CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :